प्रेषक,

श्री एस० एम० ए० आबदी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महा निबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2008

विषय:- रिट पिटीशन (सी०) संख्या: 1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है रिट पिटीशन (सी०) संख्या: 1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा०उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-1-2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त अधोअंकित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधीनस्थ न्यायालय के कर्मचारियों को तालिका के स्तम्भ-3 के अनुसार उल्लिखित भत्ता दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रम संख्या	अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों की श्रेणी	अनुमन्य भत्ता
1	2	3
1.	वाहन चालक एवं समूह "घ" के अन्य कर्मचारी	रू० 100/-प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता ।
2-	अभिलेखागार/आपर्टी रूम के कर्मचारी	रू० 100/-प्रतिमाह की दर से विशेष भत्ता ।
3-	आदेशिका वाहक (प्रोसेस सर्वर)/अमीन	रू० 200/- प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा भत्ता।

Scanned by CamScanner

4	(1) तहसील/तालुका/जिला मुख्यालय पर कार्यरत स्टेनोग्राफर ।	कम से कम रु0 100/- प्रतिमाह की दर से यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता/विशेष भत्ता ।
	(2) शहरों में कार्यरत स्टेनोग्राफर	कम से कम रु0 150/- प्रतिमाह की दर से यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता/विशेष भत्ता ।
	(3) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के (वैयक्तिक सहायक)	कम से कम रु0 200/- प्रतिमाह की दर से यात्रा भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ता/विशेष भत्ता ।

2- उक्त अनुमन्य भत्ता दिनांक 01-4-2003 से देय होगा तथा तालिका के क्रमांक-4 पर उल्लिखित कर्मचारियों को अनुमन्य भत्ता तभी स्वीकृत किया जायेगा जब संबंधित अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जायेगा कि संबंधित स्टेनोग्राफर उस माह में होम आफिस में उपस्थित हुआ है ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी(2) 881/x/08 दिनांक 28-8-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(एस0 एम0 ए0 आब्दी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या: 2071 (1)/सात-न्याय-2-08-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उ0 प्र0 ।
2- समस्त कोषाधिकारी, उ0 प्र0 ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (3-3 प्रतियों में)
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा आडिट 1 एवं 2, उ0 प्र0, इलाहाबाद ।
5- रजिस्ट्रार सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0 प्र0 शासन, न्याय विधि कोष्ठक, बी0सी0आई0 भवन, 21-राउज एवेन्यू, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
6- श्री अशोक कुमार मिश्रा, एडवोकेट-आन-रिकार्ड, मा0उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12,
9- न्याय अनुभाग-9 (बजट) / गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(गोकुलेश)

संख्या– 1283 /सात–न्याय–2–201 0सी0

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 2 सितम्बर, 2013

विषय:–रिट पिटीशन (सी0) संख्या:1022/1989: ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2008 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी0) संख्या:1022/1989: ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–2008 के सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधोअंकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को तालिका के स्तम्भ–3 के अनुसार उल्लिखित वेतनमान दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

S.No.	Grade	Proposed Pay Scale	Sanctioned Post
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	Grade-I Munsarim/Reader Court of District Judge/A.D.J.	Old 5500-9000 Revised 9300-34800 Gade Pay 4200/-	536
2-	Grade-II Munsarim/ Reader Court of C.J. (S.D)/C.J.M./CMM	Old 4500-7000 Revised 5200-20200 Gade Pay 2800/-	867
3-	Grade-III Munsarim/ Reader Court of C.J. (J.D)/Magistrate/J.M./JSCC.	Old 4000-6000 Revised 5200-20200 Grade Pay 2400/-	1231

J.R. (INS)

23 SEP 2013

SO (Admin-II/D)

Scanned by CamScanner

2- उक्त अनुमन्य वेतनमान के अन्तर्गत रीडर्स संवर्ग के पदों का विभाजन तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी होगा। उक्त के अतिरिक्त रीडर के पदों को न्यायालय के श्रेणी के अनुसार ग्रेड-1, ग्रेड-2 एवं ग्रेड-3 में विभाजित किया गया है। शेट्टी आयोग की संस्तुतियों के अनुसार विभिन्न श्रेणी में विभाजित रीडर के पदों पर समान वेतनमान के अन्य पदों से नियुक्ति के आधार पर भरा जायेगा। इन पदों को प्रोन्नति के आधार पर नहीं भरा जायेगा अर्थात् रीडर ग्रेड-3 से रीडर ग्रेड-2 पर एवं रीडर ग्रेड-2 से रीडर ग्रेड-1 पर पदोन्नति नहीं की जानी है।

3- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-1-713/दस-2013, दिनांक 20-09-2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

संख्या- 1283(1)/सात-न्याय-2-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)
4- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी)-1/2 तथा आडिट-1 एवं 2, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, न्याय विधि कोष्ठक, नई दिल्ली।
6- श्री श्रीष कुमार मिश्रा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12
8- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(चन्द्र मौलि शुक्ल)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

श्री एस०एम०ए० आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग--2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर2008

विषय:- रिट पिटीशन (सी) संख्या--1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ....1--2008 सपठित आदेश दिनांक 15-7--2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

महानिबन्धक मा० उच्च न्यायालय, के अर्धशासकीय पत्रांक 11856/ बी.ई. .../एडमिन डी. दिनांक 6--9--2005 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 2071/सात न्याय-....-08--132जी/08 दिनांक 29--9--2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी) संख्या 1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य मे मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक ....2006 सपठित आदेश दिनांक 15-7--2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक सेवा के अधिकारियो /कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियो के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त अधीनस्थ न्यायालयों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद के वर्तमान वेतनमान रू06500--10500 को उच्चीकृत करके वेतनमान रू08000--275--13500 किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क-- यह उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1--4--2008 से प्रभावी माना जायेगा ।

ख-- उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों का प्रारम्भिक वेतन वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2--4 के मूल नियम 22के नीचे दिये गये सम्परीक्षा निदेशों के प्रस्तर ... के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। अधिकारियों को (उच्चीकृत वेतनमान में) वित्तीय नियम संग्रह--खण्ड--2 भाग-2 से 4 के मूल नियम --23 (1) के अनुसार विकल्प देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

ग-- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008--2009 के आय--व्ययक के अनुदान संख्या ... के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014--न्याय प्रशासन--आयोजनेत्तर-105--सिविल और सेशन्स न्यायालय --03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश " की सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

--2--

I/M(s)

Budget

I/c ... Registrar General
07-11-08

:- यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या वे0आ0-1-436/दस -08,दिनांक 17-10-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 आब्दी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 3566 (1)/सात-न्याय-2-08, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त जनपद न्यायाधीश,उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
3- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों) में ।
4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा आडिट 1/2 उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ,उ0प्र0 शासन ,न्याय विधि कोष्ठक, बी0सी0आई0 भवन , 21 - राऊज एवेन्यू ,उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली ।
6- श्री श्रीश कुमार मिश्रा,एडवोकेट-आन रिकार्ड ,मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12
8- न्याय अनुभाग-9 (बजट)
9- गार्ड बुक हेतु ।
10- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(गोकुलेश)
विशेष सचिव ।

Scanned by CamScanner

131

संख्या-2378/सात-न्याय-2-09-226जी/09 9.8.09

प्रेषक,

श्री एस0एम0ए0 आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2009

विषयः— रिट पिटीशन (सी) संख्या—1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—1—2008 सपठित आदेश दिनांक 15—7—2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय के पत्र सं0—12959—5—ई—80/एडमिन (डी), दिनांक 14—10—2008 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या—2071/सात—न्याय—2—08—132जी/08, दिनांक 29—9—2008, संख्या—3565 व 3566/सात—न्याय—2—08—132जी/08, दिनांक 17—10—2008 तथा संख्या—3368/सात—न्याय—2—08—227जी/08, दिनांक 18—10—2008 तथा 867/सात—न्याय—2—09—226जी/08, दिनांक 11—5—2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी)संख्या—1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22—1—2008 सपठित आदेश दिनांक 15—7—2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय अधीनस्थ न्यायालयों के बेन्च क्लर्क (पेशकार) एवम् स्टेनोग्राफर्स को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी वर्दी को 03 वर्ष में एक बार उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009—2010 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—42 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—आयोजनेत्तर—105—सिविल और सेशन न्यायालय—03—जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4— ये आदेश वित्त (सामान्य) अनुभाग—1 के अशासकीय संख्या—सा—1—160/दस—09, दिनांक 14—7—2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

एस0एम0ए0 आब्दी
प्रमुख सचिव ।

R G
Encl.

Scanned by CamScanner

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ: दिनांक 23 सितम्बर, 2013

विषय:–रिट पिटीशन (सी) संख्या–1022/1989 आल इण्डिया जजेज एसोसिएशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–01–08 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के समबन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–867/सात–न्याय–2–09–226जी/08, दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार– अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी की श्रेणी में आने वाले कर्मचारियों को प्रारम्भिक दर एक वेतनवृद्धि अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2– इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 07–10–2009 के अनुपालन में उक्त निर्गत शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

"शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/ कर्मचारियों के सबंध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों के कम में अधीनस्थ न्यायालयों में कामन कैटेगरी श्रेणी के कर्मचारियों को प्रारम्भिक दर के स्थान पर अद्यतन मूल वेतन (existing pay scale) पर एक वेतनवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

3– इस प्रकार उक्त शासनादेश दिनांक 11 मई, 2009 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4– उपर्युक्त आदेश दिनांक 01–04–2003 से प्रभावी माने जायेंगे।

–2–

Scanned by CamScanner

5— यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभ
संख्या—यू0ओ0—वे0आ0—1—647 / दस—13, दिनांक 29 अग
सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संख्या—1252(1) / सात—न्याय—2—2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक

1— समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
2— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1 / 2 (तीन—तीन)।
4— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—1 / 2 तथा आ
उत्तर प्रदेश।
5— विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि
नई दिल्ली।
6— वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—1 / 2, वित्त (व्यय नि
7— न्याय अनुभाग—9 (बजट)
8— गार्ड बुक हेतु।
9— संबंधित समीक्षा अधिकारी।

Scanned by CamScanner

संख्या– 614 / सात–न्याय–2–2013–227जी / 08

प्रेषक,

आर0 के0 उपाध्याय,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,

मा0 उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद।

न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ:दिनांक: 20 जून 2013

विषय:–अधीनस्थ न्यायालय के गैर न्यायिक सेवा के स्टेनोग्राफर्स/वैयक्तिक सहायकों के संबंध में मा0 शेट्टी आयोग की संस्तुतियों को लागू किये जाने के संबंध में पूर्व में जारी शासनादेश दिनांक 18–10–2008 एवं दिनांक 11–05–2009 में संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबन्धक (निरीक्षण), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–6479/Ve-60/एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांक 13–04–2011 एवं पत्र संख्या–7596/Ve-60/एडमिन (डी) सेक्शन, दिनांक 17–05–2012 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–3560/सात-न्याय–2–08–227जी/2008, दिनांक 18 अक्टूबर, 2008 एवं संख्या–867/सात–न्याय–2–09–226जी/2008, दिनांक 11–05–2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में मा0 शेट्टी आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के कम में सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 18–10–2008 में प्रस्तर–1 के नीचे दी गयी तालिका को निम्नवत् प्रतिस्थापित किये जाने तथा शासनादेश दिनांक 11–05–2009 में स्टेनोग्राफर का पदनाम पृष्ठ–2 प्रस्तर–1 (3) के बजाय प्रस्तर–1 (2) में वेतनमान रू0 4500–7000 के पदों के साथ सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	संशोधित पदनाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1–	स्टेनोग्राफर	4500–7000	स्टेनोग्राफर ग्रेड–III	सिविल जज जूनियर डिवीजन/

Scanned by CamScanner

			समकक्ष मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध।
2—	वैयक्तिक सहायक (लघुवाद न्यायालय/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/ सिविल जज(सीनियर डिवीजन) से सम्बद्ध)	5500—9000	स्टेनोग्राफर ग्रेड—II	सिविल जज सीनियर डिवीजन/ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साथ सम्बद्ध।
3—	जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक।	7450—11500	स्टेनोग्राफर ग्रेड—I	जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश से सम्बद्ध।

2— उपर्युक्त आदेश दिनांक 01—04—2003 से प्रभावी माने जायेगें।

3— उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013—2014 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014—न्याय प्रशासन—अयोजनेत्तर—105—सिविल और सेशन्स न्यायालय—03—जिला तथा सेशन न्यायाधीश" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अंशासकीय संख्या—ई—12—1108/दस—2013, दिनांक 20 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0 उपाध्याय)
विशेष सचिव।

Scanned by CamScanner

संख्या–614(1)/सात–न्याय–2–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2 (तीन–तीन प्रतियों में)

4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1/2 तथा आडिट–1/2, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5– विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन, विधि कोष्ठक, नई दिल्ली।

6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–12 ।

7– न्याय अनुभाग–9 (बजट) ।

8– गार्ड बुक हेतु।

9– संबंधित समीक्षा अधिकारी।

आज्ञा से,

Rakesh .02.2013

(आर0 के0 उपाध्याय)

विशेष सचिव।

2517

Scanned by CamScanner

3— यह आदेश वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 के अशासकीय संख्या वे0आ0–1–436/दस–08, दिनांक 17–10–2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 आब्दी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 3566 (1)/प्रशा–न्याय–2–08, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— समस्त जनपद न्यायाधीश,उत्तर प्रदेश ।
2— समस्त कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
3— वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1/2(तीन–तीन प्रतियों) में ।
4— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा आडिट 1/2 उ0प्र0 इलाहाबाद ।
5— विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ,उ0प्र0 शासन ,न्याय विधि कोष्ठक, बी0सी0आई0 भवन , 21 – राऊज एवेन्यू ,दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली ।
6— श्री श्रीश कुमार मिश्रा,एडवोकेट–आन रिकार्ड ,मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली ।
7— वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–12
8— न्याय अनुभाग–9 (बजट)
9— गार्ड बुक हेतु ।
10— सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(गोकुलेश)
विशेष सचिव. ।

Scanned by CamScanner

प्रेषक,

श्री एस0एम0ए0 आब्दी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग–2(अधीनस्थ न्यायालय) लखनऊ दिनांक 17 अक्टूबर,2008

विषय:- रिट पिटीशन (सी) संख्या–1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2008 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी संस्तुतियों को लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

महानिबन्धक,मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के अर्द्धशासकीय पत्रांक 11856/ डी.ई.–60/ एडमिन सी दिनांक 06–9–2005 एवं पत्रांक 10970/डी0ई0–60 /प्रशा0 (घ) दिनांक 31–8–2006 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या– 2071/सात --न्याय–2–08–132जी/ 08 दिनांक 28–8–2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट पिटीशन (सी) संख्या 1022/1989: आल इण्डिया जजेज एसोसियेशन तथा अन्य बनाम भारत सरकार तथा अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–1–2008 सपठित आदेश दिनांक 15–7–2008 के अनुपालन में अधीनस्थ न्यायालयों के गैर न्यायिक सेवा के अधिकारियों /कर्मचारियों के सम्बन्ध में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (शेट्टी आयोग) द्वारा की गयी विभिन्न संस्तुतियों के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के 17 जनपदों– यथा 1–आगरा 2 -- अलीगढ 3–इलाहाबाद 4–चित्रकूट 5– फ़ैजाबाद 6–गौतमबुद्धनगर 7–गाजियाबाद 8–गोरखपुर 9–झांसी 10–कानपुर नगर 11–लखनऊ 12–मथुरा 13– मेरठ 14–वाराणसी 15–मिर्जापुर 16– बरेली 17– मुरादाबाद में से प्रत्येक जनपद में अधोअंकित तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार अस्थायी पदों को ,यदि ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जायें ,दिनांक 28–2–2009 तक के लिये सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

क्रम सं0	प्रत्येक जनपद में सृजित होने वाले पदों के नाम /पदों की संख्या /वेतनमान का विवरण		
	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
1	2	3	4
1–	प्रोटोकाल आफीसर	01 (एक)	रू04000–100–6000
2–	क्लर्क– कम –टाइपिस्ट	01 (एक)	रू03050–75–3950–80–4590
3–	प्यून (चपरासी)	02 (दो)	रू02550–55–2660–60–3200

प्रत्येक जनपद में कुल 04 पद (चार)

2– उक्त पदों को कार्मिक विभाग के वर्तमान शासनादेशों के अनुसार भरा जायेगा ।

–2–

Scanned by CamScanner

3-- उपर्युक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत मंहगाई तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे ।

4-- उपर्युक्त पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -42 के अंतर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर -105-सिविल और सेशन्स न्यायालय --03 जिला तथा सेशन न्यायाधीश " की सुसंगत इकाईयो के नामें डाला जायेगा ।

3-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 1741/दस-2008,दिनांक 17-10-2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं ।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 आब्दी)
प्रमुख सचिव ।

संख्या 3585 (1)/सात-न्याय-2-08, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित :-

1-- समस्त जनपद न्यायाधीश,उत्तर प्रदेश ।

2-- समस्त कोषाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।

3-- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2(तीन-तीन प्रतियों में)।

4-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा आडिट 1/2 उ0प्र0 इलाहाबाद ।

5-- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी ,उ0प्र0 शासन ,न्याय विधि कोष्ठक, डी0सी0आई0 भवन , 21 -- राऊज एवेन्यु ,उर्दूघर मार्ग नई दिल्ली ।

6-- श्री श्रीश कुमार मिश्रा,एडवोकेट-आन रिकार्ड ,मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली ।

7-- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-12

8-- न्याय अनुभाग-9 (बजट)

9-- गार्ड बुक हेतु ।

10-- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी ।

आज्ञा से,

(गोकुलेश)
विशेष सचिव ।

Scanned by CamScanner